राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक : एफ.4(82)पराविं/पीसी/बीएसआर/निविदा/15 जयपुर, दिनांक: 1384 11.8.15

स्थायी आदेश – 17/2015

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत सम्पादित किये जा रहे विकास कार्यों के लिए आमन्त्रित बोलियों में बोलीदाताओं द्वारा प्रचलित बाजार दर प्रस्तुत नही की जाती है।

यह ध्यान में लाया गया है कि कुछ बोलीदाताओं द्वारा बी.एस.आर दर/अनुमानित दरों से बहुत कम दर प्रस्तुत की जाती है। यह दर कई प्रकरणों में बीएसआर दर/अनुमानित दर से 50 प्रतिशत से भी कम तक प्रस्तुत की जाती है। ऐसी दरो पर कार्य करवाया जाना व्यवहारिक दृष्टि से सम्भव नहीं होता है, जिसके कारण निर्माण सामग्री की आपूर्ति कार्य आदेश/आपूर्ति आदेश जारी करने व अनुबन्ध करने के पश्चात् भी नहीं की जाती है।

उपरोक्त तरह के बोलीदाताओ के विरूद्ध कार्यवाही किए जाने जाने तथा पुन: निविदा आमंत्रित करने मे समय लगता है। ऐसे प्रकरणों में बाजार दरें और अधिक हो जाती हैं तथा इससे योजना का लाभ भी लाभार्थियों को समय पर नही मिल पाता है। अत: व्यवहारिक बाजार दर से कम दरों को हतोत्साहित किया जाकर इस प्रवृति पर अकुश लगाया जाना आवश्यक है।

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 75 में कार्य सम्पादन प्रतिभूति के बारे मे उल्लेख है। नियम 75 (2) के अनुसार कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम माल और सेवाओं के उपापन के मामले में प्रदाय आदेश की रकम की पांच प्रतिशत या जैसी कि बोली दस्तावेज मे विनिर्दिष्ट की जाए, होगी और संकर्मो के उपापन के मामले मे सकर्म आदेश की रकम की दस प्रतिशत होगी।

अत: नॉन रेस्पॉसिव बिड प्रवृत्ति को हतोत्साहित कर अंकुश लगाने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है कि जिन प्रकरणो में बीएसआर दर/अनुमानित दर से 10 प्रतिशत से भी कम दर प्रस्तुत की जाती है तो उनमें सफल बोलीदाता से अंतर राशि की (10 प्रतिशत कम दर से जितनी दर कम है) अतिरिक्त कार्य सम्पादन प्रतिभूति ली जायेगी।

उदाहरणार्थ – यदि बोलीदाता द्वारा बीएसआर दर से 15 प्रतिशत कम दर प्रस्तुत की गई है तो उसको 15–10 = 5 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य सम्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत करनी होगी। इसी प्रकार यदि बोलीदाता द्वारा बीएसआर दर से 30 प्रतिशत कम दर प्रस्तुत की गई है तो उसको 30–10 = 20 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य सम्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत करनी होगी।

अत निविदा दस्तावेज/अनुबन्ध मे निम्न प्रावधान जोडे जावे

(i) यदि कोई बोलीदाता जी अनुसूचि दर से 10 प्रतिशत की दर से कम दर प्रस्तुत करता है तो बोलीदाता को 10 प्रतिशत कम दर से प्रस्तुत दर के बराबर अतिरिक्त कार्य सम्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत करनी होगी। यह राशि अनुबन्ध सम्पादन के समय जमा करानी होगी व कार्य पूर्ण होने के पश्चात् वापस लौटायी जावेगी।

(ii) न्यूनतम बोलीदाता को दर स्वीकार करने का पत्र जारी किया जावेगा। इस पत्र के 7 दिवस मे अतर राशि बैंक गारंटी/फिक्स डिपोजिट रसीद/राष्ट्रीय बचत पत्र के रूप में जमा करायी जा सकेगी। इन प्रतिभूतियों की वैधता निर्धारित कार्य पूर्ण होने की सम्भावित तिथि/वास्तविक तिथि से तीन माह तक की होगी। यदि निर्धारित अवधि में अतिरिक्त कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नहीं करायी जाती है तो 2 प्रतिशत बिड सिक्युरिटी जब्त कर ली जायेगी। यदि कार्य संतोषजनक रूप से पूर्ण नही किया जाता है तो कार्य सम्पादन प्रतिभूति के साथ अतिरिक्त कार्य सम्पादन प्रतिभूति भी जब्त कर ली जायेगी।

यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू किया जाता है। यह आदेश उन सभी बोलियों पर भी प्रभावी होगा जिन्हें इस आदेश के जारी होने के बाद जारी किया जावेगा। इस संबंध मे बोली दस्तावेजो मे आवश्यक संशोधन उपापन संस्थाओं द्वारा किया जावेगा।

(श्रीमत पाण्डे)